नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत सहारनपुर में प्रचलित ग्रामीण क्षेत्र की नदी,नालो,पोखर, आदि से रेत, पत्थर, बजरी आदि को व्यवसायिक दृष्टि से ले जाने एवं एकत्रित करने वाले वाहनों आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधि जो शासकीय गजट दिनांक 06 नवम्बर, 1999 में पंचायतीराज की विज्ञप्ति संख्या–5545/प्र0अ0 (आर0ए0)/नाजिर, दिनांक 27.10.1999 एंव इस उपविधि की दरो में किये गये संशोधन की विज्ञप्ति संख्या 8234/प्र0अ0/जिला पंचायत सहारनपुर 2006–07, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 जिसका शासकीय गजट दिनांक 30 सितम्बर,2006 एवं विज्ञप्ति संख्या 1861/प्र0अ0/एल0बी0सी, दिनांक 23 जनवरी, 2010 का प्रकाशन 30 जनवरी 2010 में हुआ था, के अनुसार शुल्क वसूली के ठेके को दिनांक 31.03.2018 तक के लिए मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित याचिका संख्या 1112/11 में पारित अनन्तिम आदेश दिनांक 27.03.2003 के अनुक्रम में प्रश्नगत याचिका के अन्तिम निर्णयाधीन सार्वजनिक नीलाम दिनांक 07.02.2015 को प्रातः 11:00 बजे सभाकक्ष कार्यालय, जिला पंचायत, सहारनपुर में इस हेतु गठित नीलाम समिति द्वारा किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति, फर्म(पंजीकृत), सोसायटी, नियत दिनांक, समय व स्थान पर नीलाम में भाग ले सकते है। बोलीदाता को नीलाम तिथि से पूर्व जिलाधिकारी के स्वंय के हस्ताक्षर से जारी वैध चरित्र प्रमाण पत्र एंव दो करोड रूपये की हैसियत का प्रमाण पत्रों के साथ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर द्वारा जारी अंकन 1,00,00,000.00 रू0 (एक करोड रूपये मात्र) की एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0, जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत सहारनपुर के पदनाम पर बन्धक हो, नीलाम तिथि से पूर्व दिनांक 30.01.2015 को सांय 5:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत,सहारनपुर में जमा करानी होगी। उक्त नीलाम सूचना शासकीय वैबसाईट **www.saharanpur.nic.in** पर भी प्रदर्शित की गयी है। अन्य आवश्यक शरायते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला पंचायत,सहारनपुर में देखी जा सकती है।

(सुनील कुमार यादव)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,सहारनपुर

कार्यालय जिला पंचायत, सहारनपुर

पत्रांक 4084 /जि0पं0/नि0अनु0/2014–2015 दिनांकः–19-1-2015

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. विज्ञापन सम्पादक दैनिक अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान,दैनिक जागरण, एवं विश्व मानव सहारनपुर को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में सामान्य छपाई में एक बार शासकीय दरों पर प्रकाशित कर बिल समाचार पत्र की दो प्रतियो सहित इस कार्यालय में यथा शीध्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
2. आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर महोदय को सूचनार्थ।
3. मा0 अध्यक्ष,जिला पंचायत,सहारनपुर को अवलोकनार्थ।
4. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
5. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी,जिला पंचायत,सहारनपुर को सादर सूचनार्थ
6. जिला न्यायाधीश,सहारनपुर के सूचना पट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना वर्णित शासकीय वैबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
8. उप जिलाधिकारी,सहारनपुर,बेहट,देवबन्द,नकुड,रामपुर मनिहारन का सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. तहसीलदार, सहारनपुर,बेहट,देवबन्द,नकुड,रामपुर मनिहारन का सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0,सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेत।
11. अधिशासी अभियन्ता,सिचाई विभाग, सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेत।
12. अपर जिला मजिस्ट्रेट,(प्रशासन)/(वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेत।
13. नीलाम समिति के सदस्यो को सूचनार्थ प्रेषित।
14. नियत तिथि तक जमानत एवं वांछित कागजात जमा कराने वाले व्यक्तियो/संस्थाओं/फर्मो को सूचनार्थ।
15. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,सहारनपुर